राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

एफ 27(82) ग्राविवि/ग्रुप–5/जीकेएन/बीएसआर/झुन्झुनू/2015–16 जयपुर, दि. 01-01-2018 दिसम्बर, 2017

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद्, झुन्झुनू।

विषय :– निर्माण सामग्री के उपापन हेतु जारी निविदा में न्यूनतम टर्न ऑवर की शर्त के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि श्री सुबोध कुमार शर्मा, लाटा कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, छापौली द्वारा पंचायत समिति उदयपुरवाटी की ग्राम पंचायतों में निविदा दिनांक 13.12.2017 में सामग्री क्रय हेतु जारी निविदाओं में उपापन सामग्री की लागत का तीन गुना तक टर्न ऑवर होने की शर्त रखकर मध्यम वर्ग के सप्लायर्स को निविदा में भाग लेने से वंचित करने की शिकायत करते हुए विभागीय पत्र क्रमांक एफ 27(263)ग्रावि/ ग्रुप–5/ जीकेएन/ उपापन/2015–16/ई.ओ. 92279 दिनांक 13.04.2017 के अनुसार "कम से कम उपापन की जाने वाली सामग्री की लागत के बराबर या अधिक टर्न ऑवर होने" की शर्त के आधार पर ही निविदा जारी कराने का अनुरोध किया है।

शिकायत पत्र की प्रति संलग्न कर निवेदन है कि पत्र में अंकित बिन्दुओं पर नियमानुसार कार्यवाही कर की गई कार्यवाही से अवगत कराने का श्रम करावे।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(के. के. शर्मा)
अधीक्षण अभियंता, ग्रावि

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
2. जिला कलक्टर, झुन्झुनू।
3. अधिशाषी अभियन्ता, (अभि.) जिला परिषद् झुन्झुनू, राजस्थान।
4. विकास अधिकारी, पंचायत समिति उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनू।
5. श्री सुबोध कुमार शर्मा, लाटा कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, छापौली, पंचायत समिति उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनूं।

अधीक्षण अभियन्ता ग्रावि,